न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारी: श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 15/2019

बउनवान

1. रामबिलास आयु 39 साल पुत्र श्री हरल्या उर्फ हरमल जाति मोग्या निवासी कलमण्डा तहसील बारां जिला बारां हाल निवासी वेयर हाउस के पीछे खेडलीगंज अटरू तह. अटरू जिला बारां (राज.)
2. राजिया बाई आयु 38 साल पुत्री हरल्या उर्फ हरमल जाति मोग्या पत्नि जमनालाल जाति मोग्या निवासी निवासी वेयर हाउस के पीछे खेडलीगंज अटरू तह. अटरू जिला बारां (राज.)

(अपीलांट)

बनाम

1. बुद्धिप्रकाश पुत्र श्री केसरी लाल जाति बैरवा निवासी कलमण्डा तहसील बारां जिला बारां (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां

(रेंस्पोडेंटगण)

अपील बनाराजगी इन्तकाल नंबर 420 दिनांक 26.12.1995 राजस्व कैम्प ग्राम कलमण्डा आदेश तहसीलदार बारां फौथी इन्तकाल स्वर्गीय हरल्या वल्द सुखलाल निवासी कलमण्डा तह0 बारां जिला बारां (राज.)
अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज0)

उपस्थिति :– 1. श्री अरविन्द सिंह हाड़ा अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. श्री हेमराज बैरवा **(रैस्पो. कम 1)**

निर्णय दिनांक 24.02.2022

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कलमण्डा तहसील बारां में वर्तमान सेटलमेन्ट से पूर्व के खसरा नं. 1584/373 की रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा आराजी स्थित है। जो अपीलान्ट के पिता के नाम से दिनांक 06.01.1970 को आवंटन हुयी थी, तथा उसी समय उक्त आराजियात पर अपीलान्ट के पिता को कब्जा संभलाकर अपीलांट के पिता के नाम से नामांतरण नं. 192 से गैरखातेदारी में दर्ज कर दी गयी थी। उक्त वर्णित आराजियात का वर्तमान सेटलमेन्ट के बाद में नये खसरा नं. 438 की रकबा 0.38 की रकबा 0.30 है0 दर्ज कर अपीलान्ट के पिता के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी। अपीलांट के पिता का स्वर्गवास दिनांक 05.02.1984 को कलमण्डा में हो गया। उस समय अपीलांट नाबालिग थे। नाबालिग अवस्था में होने के कारण वर्णित आराजियात को रैस्पो0 कमांक [illegible] राजस्व कैम्प अभियान कलमण्डा में अपने नाम से इंतकाल नं. 420 [illegible] बेयनामा तस्दीकशुदा बताकर खुलवा लिया। उक्त आराजियात का विक्रय [illegible] नहीं हुआ है, एवं रजिस्ट्री बेयनामा दिनांक 12.12.1995 को बताया है। जबकि अपीलांट के पिता का स्वर्गवास दिनांक 05.02.1984 को हुआ था। उक्त आराजियात [illegible] बेचान अपीलांट के [illegible] ने कभी नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.29 11:26:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

नि0

किया। रेस्पो. क्रमांक 1 द्वारा फर्जी तरीके से फर्जी दस्तावेज मरे हुये व्यक्ति का करवाकर इंतकाल दर्ज करवाया है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर केम्प कलमण्डा में खोला गया इंतकाल नं. 420 दिनांक 26.12.1995 को निरस्त फरमाया जाकरा अपीलांट के स्वर्गीय पिता हरल्या उर्फ हरमल के खातेदारी की आराजियात खसरा नं. 438 की रकबा 0.38 है. वाके ग्राम कलमण्डा अपीलांट के मृतक हरल्या के वारिसान होने से राजस्व रेकार्ड में अपीलांट का नाम दर्ज किया जावें।

उक्त अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया। रेस्पो0 क्रम 1 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी। दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटगण के पिता को ग्राम कलमण्डा की आराजी खसरां न. 1584/373 की रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा दिनांक 06.01.1970 को आवंटित की गई थी, तभी से अपीलांटगण के पिता उक्त आराजी पर काबिज काश्त रहे। नामांतरण नं. 192 से उक्त आराजी अपीलांटगण के पिता के नाम गैर खातेदारी से दर्ज कर दी गई । तथा सेटलमेट के बाद उक्त आराजी के नये खसरा नं. 438 रकबा 0.30 है. कायम कर अपीलांटगण के पिता के नाम खातेदारी मे दर्ज कर दी। अपीलांटगण के पिता दिनांक 05.02.1984 को ग्राम कलमण्डा में फोत हो गये। उक्त समय अपीलांटगण नाबालिग थे। अपीलांटगण के नाबालिग होने का फायदा उठाते हुए रेस्पो. क्रम 1 ने राजस्व अभियान केम्प कलमण्डा में अपने नाम उक्त आराजीयात का इंतकाल नं. 420 रजिस्ट्री बेयनामा दिनांक 12.12.1995 बताकर खुलवा लिया। जबकि अपीलांटगण के पिता की मृत्यु दिनांक 05.02.1984 को हो गयी थी। इस बाबत् फौजदारी प्रकरण भी अपीलांटगण द्वारा सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया हुआ है। अतः उक्त इंतकाल नं. 420 दिनांक 26.12.1995 को निरस्त फरमाते हुए ग्राम कलमण्डा की आराजी खसरा नं. 438 की रकबा 0.30 है. पर अपीलांटगण का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

दौराने बहस वकील रेस्पो0 क्रम 1 ने कथन किया कि अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी है। रेस्पो0 क्रम 1 ने ग्राम कलमण्डा की आराजी खसरा नं. 438 रकबा 0.30 है. खातेदार हरल्या वल्द सुखलाल जाति मोग्या निवासी कलमण्डा से रूबरू गवाहान जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 12.12.1995 खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है। तभी से उक्त आराजी पर रेस्पो. क्रम 1 बहैसियत खातेदार काबिज काश्त है। ग्राम कलमण्डा का नामातंरण संख्या 420 दिनांक 26.12.1995 उक्त बयनामा के आधार पर ही खोला जाकर तस्दीक किया गया है। अपीलांटगण द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर दिनांक 05.02.1984 को अपीलांटगण के पिता की मृत्यु होना बताया जा रहा है। वह मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी है। मृतक हरल्या वल्द सुखवा [illegible] तक जीवित था, जिसके प्रमाण स्वरूप पंचायत मतदाता सूची 1988, 1992, 1994, 1999 की छायाप्रति दौराने बहस पेश की है। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 05.02.1[illegible] के विरूद्ध फौजदारी प्रकरण रेस्पो. क्रम 1 ने भी सक्षम न्यायालय में पेश कर रखा है। रेस्पो. क्रम 1 ने उक्त आराजी जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद की है। रेस्पो. क्रम 1 बोनाफाईड परचेजर है। अतः अपीलांटगण की अपील खारिज फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.29 11:26:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। चूंकि ग्राम कलमण्डा की विदित आराजी खसरा नं. 438 रकबा 0.30 है. अपीलांट के पिता हरल्या वल्द सुखलाल जाति मोग्या निवासी कलमण्डा की खातेदारी में दर्ज थी। रेस्पो. क्रम 1 द्वारा पेश किये गये विक्रय पत्र दिनांक 12.12.1995 से स्पष्ट है कि उक्त आराजी हरल्या वल्द सुखलाल जाति मोग्या निवासी कलमण्डा से खरीदी है, तथा इसी विक्रयपत्र के आधार पर रेस्पो. क्रम 1 के पक्ष में नामांतरण संख्या 420 दिनांक 26.12.1995 खोला जाकर तस्दीक किया गया है। जब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता तब तक उक्त विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज नामान्तरण को निरस्त नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य पाई जाती है। अतः अपील अपीलांटगण निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.29 11:26:15 IST
Reason: SelfAttested